

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-4डी(1)/मू०आ०/615/2023/

लखनऊ: दिनांक: 17/01/2024

// आदेश //

स्व० विजय कुमार, स्वीपर कार्यालय जिला कुष्ठ अधिकारी, बहराइच अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच की मृत्यु दिनांक 16.01.2023 को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पुत्र श्री प्रशान्त गौरव की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियमावली 1974, यथा संशोधित अधिनियम/उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-4 के पत्रावली सं०-5-4099/901/2022-4-1/368647/2023, दिनांक 14.08.2023 के अनुसार, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/टी०सी०-VI (II), दिनांक 27.12.2022, द्वारा प्राख्यापित "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तेहरवां संशोधन) नियमावली 2022" में निहित प्राविधान के अन्तर्गत नियंत्रक अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के पत्रांक- मु०चि०अ०/मू०आ०नियु० /2023-24/9128, दिनांक 20.10.2023 एवं मु०चि०अ०/मू०आ०/नियु०/2023-24/10563, दिनांक 30.12.2023 की संस्तुति एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के अधीन रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैंड रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू०-2000/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-3) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में "उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-1994" के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा :-

- (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
- (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
- (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
- (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।
- (ङ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
- (च) अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।

5. यह नियुक्ति उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तेहरवां संशोधन) नियमावली-2022, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/टी०सी०-VI (II), दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और प्रवीणता अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसासटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेत्तर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवारत समाप्त कर दी जायेगी।
6. कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र०शासन अधिसूचना संख्या-6/12-73-का-2-2001, दिनांक 12.10.2001 में नियम-5 का संशोधन के बिन्दु-3 एवं बिन्दु-4 में यह प्राविधान है कि- उक्त नियमावली में नियम-5 में वर्तमान उपनियम-2(2) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्- "(3) उपनियम(1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम(1) के अधीन होगी कि उप नियम(1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे"-4- जहाँ उपनियम(1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए व उपनियम-(3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवारत, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति शासनादेश दिनांक 12.10.2001 में दिये गये इस प्रतिबन्ध के

- साथ दी जाती है कि श्री प्रशान्त गौरव पुत्र स्व० विजय कुमार परिवार कें अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।
 8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
 9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक-प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
 10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री प्रशान्त गौरव की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह दिसम्बर 2024 के अंतिम सप्ताह में महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है।
 11. उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
 12. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
 13. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।
 14. यदि भविष्य में श्री प्रशान्त गौरव द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्री प्रशान्त गौरव के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
 15. श्री प्रशान्त गौरव पुत्र स्व० विजय कुमार उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-1994 से आच्छादित रहेगी।

(डा० राजागणपति आर०)
आई०ए०एस०
निदेशक (प्रशासन)

संख्या-4डी(1)/म०आ०/615/2023/384-396 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-4
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
6. अपर निदेशक, मलेरिया एवं वी०बी०डी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या-04, 06, 07, 08, 09 एवं 10 पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की दशा स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी बहराइच।
10. अधीक्षक, जिला कुष्ठ चिकित्सालय, बहराइच।
11. श्री प्रशान्त गौरव पुत्र स्व० विजय कुमार मकान नं० 504/108 नेहरू नगर, मनकामेश्वर मन्दिर मार्ग, डालीगंज लखनऊ-226020 को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच से संपर्क स्थापित कर, अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त अपना प्रथम योगदान देना सुनिश्चित करें। (पंजीकृत डाक द्वारा)
12. पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर, बहराइच को इस आशय से प्रेषित कि श्री प्रशान्त गौरव पुत्र स्व० विजय कुमार निवासी-मो० मोहलीपुरा जनपद बहराइच का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

(डा० रजना खरे)
अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)